

बिहार सरकार  
वित्त विभाग ।

सूचना  
स्टाफकार/वाहन की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पटना स्थित मुख्य सचिवालय परिसर में रखे गये वर्तमान में वित्त विभाग के अधीन कुल-02 (दो) स्टाफकारों/वाहनों की जहां है, जैसे है, के आधार पर खुली डक द्वारा नीलामी, वित्त विभाग के नीलामी समिति की देखरेख में दिनांक-10.03.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय परिसर में वित्त विभाग के गैराज के पास किया जायेगा । प्रस्तावित नीलामी हेतु स्टाफकारों/वाहनों का निरीक्षण कार्यालय अवधि में क्रेता द्वारा आवश्यकतानुसार संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग से सम्पर्क कर किया जा सकता है ।

वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन के प्रकार	क्रय वर्ष	चेचिस नम्बर	ईजन नम्बर	वाहन जहां रखा है
1	2	3	4	5	6	7
1.	BR-01BK-1111	स्कॉर्पियों	2011	MAITA2MJNC2A 13243	MJB4M94355	मुख्य सचिवालय परिसर
2.	BR-01BF-4455	स्कॉर्पियों	2011	MAITA4MJNB2J3 2038	MJB4J90773	मुख्य सचिवालय परिसर

नीलामी की शर्तें

- (1) उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रतिवाहन 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) का प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में "Joint Commissioner-Cum-DDO, Finance Department, Bihar" के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा और उनके द्वारा यह बैंक ड्राफ्ट दिनांक-09.03.2026 को 05.30 बजे अपराह्न तक विहित प्रपत्र Annexure-A में वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास निर्धारित अवधि में जमा करना होगा ।
- (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र देना होगा, जिसमें आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस का हस्ताक्षरित प्रति होगा ।



- (3) नीलामी में भाग लेते समय उनके परिचय पत्र के आधार पर जमा राशि को देखने के उपसंत ही भाग लेने दिया जायेगा ।
- (4) उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता के जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया के 02 दिनों के बाद वापस कर दिया जाएगा ।
- (5) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर वाहन ले जाया जा सकता है । एक सप्ताह के अन्दर राशि नहीं जमा करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वतः जब्त हो जायेगी ।
- (6) समिति के सदस्यों को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
- (7) विस्तृत जानकारी के लिए श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क कर सकते हैं । मो0 नं0-9431494215

**Annexure-A**

**जमानत की राशि जमा करने का फॉर्मेट**

बोली लगाने वाले का नाम:-


बोली लगाने वाले का पता:-

मोबाईल संख्या:-

क्र0सं0	गाड़ी संख्या	जमानत की राशि	अभ्युक्ति
	कुल राशि-		

बैंक ड्रॉफ्ट नंबर एवं तिथि:-

बैंक ड्रॉफ्ट की राशि:-

  
20/04/2016  
(अरुण कुमार)

संयुक्त आयुक्त,  
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।